

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी
जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-381/14

संस्थापित दिनांक-07.07.2014

Filling num. 235103003192014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर। <div>.....अभियोजन</div>
विरुद्ध
1- किशनलाल पुत्र जैता बंजारा उम्र 26 साल निवासी- ग्राम पिपरीधार तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0 <div>.....आरोपी</div>

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 22.03.2017 को घोषित)

01- आरोपी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 354 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 28.05.2014 को करीब रात्रि 11-12 बजे ग्राम पीपरीधार फरियादी के घर के बाहर अंतर्गत थाना चंदेरी मे फरियादिया गीताबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका पैर पकडकर मचककर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

02- प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि दिनांक 22.03.2017 को फरियादिया गीताबाई एवं अभियुक्त ने राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया था जो विधि अनुकूल न होने से निरस्त किया गया।

03- अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादिया गीताबाई ने उसकी सास उमरी के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 28.05.2014 को वह अपने घर के बाहर खटिया पर सो रही थी। वह घर पर अकेली थी, उसकी सास नन्द के घर ग्राम अर्नोन गई थी और उसका पति छुई "मिट्टी" बेचने सिरोज तरफ गया था। रात की बात है, उसके ककिया ससुर का लडका किशनलाल जो कि रिश्ते में देवर लगता है रात करीब 11-12 बजे उसकी खाट के पास आया और बुरी नियत से उसका पैर पकड कर मचक "दवा दिया" दिया तो वह जाग गई और चिल्ला पडी, बोली किशन क्या रहा है। चिल्लाने की आवाज से किशन वहां से भाग गया। सुबह उसकी सास अर्नोन से घर आई तब रात की घटना की जानकारी बताई। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपी को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर

अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्त को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्त की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :—

1. क्या अभियुक्त द्वारा दिनांक 28.05.2014 को करीब रात्रि 11-12 बजे ग्राम पीपरीधार फरियादी के घर के बाहर अंतर्गत थाना चंदेरी में फरियादिया गीताबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका पैर पकड़कर मचककर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। गीताबाई अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानती है। घटना करीब 2-3 साल पहले की होकर रात 11-12 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपने घर के बाहर खटिया पर सो रही थी और उस समय वह घर में अकेली थी और उसकी सास उसकी नन्द के घर ग्राम अरौन गई थी और उसके पति भी घर पर नहीं थे। घटना वाले दिन कोई अज्ञात व्यक्ति रात में घुस आया था और उसकी खटिया के पास आकर बैठा था, जब अचानक उसकी नींद खुली तो वह उस अज्ञात व्यक्ति को देखकर चिल्ला पड़ी और उसके चिल्लाने से वह भाग गया था। सुबह उक्त अज्ञात व्यक्ति के बारे में उसने अपने पति गोमदा को बताया था। उक्त घटना के संबंध में उसने घटना के अगले दिन थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस घटना स्थल पर आई और घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

07— अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस बात से इंकार किया कि रात करीब 11-12 बजे आरोपी किशन उसकी खाट के पास आया और बुरी नियत से उसका पैर पकड़ कर दबा दिया। इस बात से इंकार किया कि वह बोली कि किशन क्या कर रहे हो तो चिल्लाने पर किशन भाग गया। इस बात से इंकार किया कि सुबह उसने सास उमरीबाई को रात की घटना की पूरी जानकारी बताई थी। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाने पर साक्षी का कहना है कि ऐसी रिपोर्ट व कथन

उसने पुलिस को नहीं दिया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया कारण नहीं बता सकती। साक्षी ने इस बात को स्वीकार किया कि उसका आरोपी से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है। अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने के कारण न्यायालय में असत्य कथन कर रही है

प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बताया कि यह बात सही है कि घटना वाले दिन रात में आरोपी किशन उसके घर पर नहीं आया और न ही उसने बुरी नियत से उसका पैर पकड़कर दबाया था, बल्कि घटना वाले दिन कोई अज्ञात व्यक्ति आया था जिसके संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। इस बात को स्वीकार किया कि वह पढी लिखी नहीं है केवल हस्ताक्षर करना जानती है इसलिये पुलिस रिपोर्ट प्र. पी.1 और कथन प्र.पी. 3 पुलिस द्वारा मुझे पढ़कर नहीं सुनाये थे उसने केवल उस पर हस्ताक्षर कर दिये थे।

08— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत गोमदा अ0सा02 ने उनके न्यायालयीन कथनो मे बताया कि वह आरोपी को जानता है। फरियादी गीता उसकी पत्नी है। गीता ने उसे बताया कि वह गर्मी के वजह से घर के बाहर सो रही थी और कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी खटिया के पास आकर बैठ गया था। अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षीगण से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने इस बात से इंकार किया कि गीता ने उसे बताया कि रात करीब 11-12 बजे किशन जो उसका चचेरा भाई है ने आकर गीता को बुरी नियत से पैर पकड़ कर दबा दिया।

09— इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादिया/पीडित ने उसके न्यायालयीन कथनो में अभियोजन घटना का कोई समर्थन नहीं किया और उसने व्यक्त किया कि घटना के समय वह अकेली थी अन्य कोई साक्षी घटना के समय उपस्थित नहीं था तथा उक्त साक्षी ने उसके न्यायालयीन कथनो में अभियुक्त किशनलाल के घर में घुसने और बुरी नियत से पैर दबाने वाली बात से स्पष्टतः इंकार किया है। उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त किशनलाल ने दिनांक 28.05.2014 को करीब रात्रि 11-12 बजे ग्राम पीपरीधार फरियादी के घर के बाहर अंतर्गत थाना चंदेरी मे फरियादिया गीताबाई जो कि एक स्त्री है की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से उसका पैर पकड़कर मचककर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः **अभियुक्त किशनलाल पुत्र जैता बंजारा उम्र 26 साल निवासी— ग्राम पिपरीधार थाना चंदेरी जिला—अशोकनगर म0प्र0** को भा.द.वि. की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमान विद्यमान नहीं है।

11— अभियुक्त द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0

// 4 // दाण्डिक प्रकरण क्रमांक-381/14

Filling num. 235103003192014

का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0